रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2012/भाद्र 2, 1934
No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2012/BHADRA 2, 1934

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2012

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2012

सं. भाराराप्रा/11011/17/2012-एच.आर. I (खण्ड III).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.—(1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2012 कहलाएंगे ।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और नीचे पैरा 6 में इसके साथ संलग्न अनुसूचियों के कॉलम 4 में निर्धारित वेतनमान, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में निर्धारित तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 12 में, खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(7) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई); केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी); कॉर्पस ऑफ इंजीनियर्स, भारतीय सेना; सीमा सड़क संगठन (बीआरओ); मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाएं (एमईएस); केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों जो केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में वही वेतनमान ले रहे हों, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हों, और जो इन पदों के लिए अपेक्षित अर्हता तथा अनुभव रखते हों, के चयन के मामले में रिक्तियों को विज्ञापित करने और छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के जरिए आवेदनों की छानबीन किए जाने की अपेक्षा समाप्त कर दी जाएगी ।

(8) कैम्पस भर्ती के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा उप-प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर अधिकारियों के चयन के मामले में, रिक्तियों को विज्ञापित करने और छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के जरिए आवेदनों की छानबीन किए जाने की अपेक्षा समाप्त कर दी जाएगी ।"

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 13 के उप-विनियम (5) में, खण्ड (ख), (घ), (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ख) जिस पद पर अधिकारी द्वारा आमेलन (एब्जार्प्शन) की मांग की गई हो उस पद पर प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर कम से कम दो वर्ष की निरंतर सेवा।

(घ) मूल विभाग में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की सहमति।

परन्तु उन अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में इस शर्त को समाप्त किया जा सकता है जिनका त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को उनके मूल विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो ।

(छ) जिस वर्ष में अधिकारी के आमेलन पर विचार किया जा रहा हो उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अधिकारी को 55 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 के विनियम 10 में निर्धारित अधिवर्षिता की आयु के अनुसार, उसकी कम से कम 5 वर्ष की शेष सेवा होनी चाहिए ।

(ज) जो अधिकारी पहले से प्रतिनियुक्ति पर हों उनके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सतर्कता प्रभाग से सतर्कता निकासी की आवश्यकता होगी ।"

4. मूल विनियम में, विनियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"15. **वरिष्ठता** –

(1) भिन्न-भिन्न विधाओं में सभी पदों के लिए पद-वार वरिष्ठता सूची की अलग-अलग श्रेणियां होंगी ।

(2) सीधी भर्ती / पार्श्विक प्रविष्टि (लेटरल एन्ट्री) के जरिए सीधी भर्ती वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के चयन के मामले में, उनकी वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में चयन समिति द्वारा उनकी सिफारिश की गई है । शेष सभी के मामले में नीचे परन्तुक (3) लागू होगा ।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण केन्द्रीय सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के आधार पर होगा ।

(4) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को उनकी वरिष्ठता सूची की एक प्रति मुहैया कराई जाएगी ।

(5) उनकी वरिष्ठता सूची में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में किसी विवाद के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।"

IndiaCode

5. मूल विनियमों के विनियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम को, विनियम 22 के रूप में अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"22. **अवशिष्ट मामले** – अधिनियम की धारा 35 के अधीन बनाए गए विनियमों अथवा उसके अधीन बनाए गए अथवा जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अंतर्गत विशेष रूप से न आने वाले मामलों के संबंध में, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सामान्यतया केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा ।"

6. मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए पात्रता का मानदण्ड और अर्हताओं को निर्धारित करने वाली अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"उप प्रबंधक (तकनीकी)"
सहायक प्रबंधक (प्रशासन)"

राजीव यादव, सदस्य (प्रशासन)
[विज्ञापन III/4/122/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर-I (खण्ड I), तारीख 23 जुलाई, 2012 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड 4, तारीख 24 जुलाई, 2012 में प्रकाशित किया गया था ।

IndiaCode

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप प्रबंधक (तकनीकी)	60 (2012), कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह-क	पीबी-3 (15600-39100 रुपये), श्रेणी वेतन 5400 रुपये सहित	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
35 वर्ष	**शैक्षिक अर्हता :** **अनिवार्य :-** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष।	(1) सीधी भर्ती द्वारा:- (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीज)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटीज) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (बी.ई.) अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक) में अध्ययन कर रहे अभ्यर्थियों में से कैम्पस भर्ती द्वारा; अथवा (ख) उन अभ्यर्थियों में से जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग

		(यूपीएससी) द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) परीक्षा (सिविल) में अर्हता प्राप्त कर ली है; और जिन्होंने कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। अथवा (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) के उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जो नियमित आधार पर सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत हों अथवा केन्द्रीय / राज्य सरकारों के विभागों में अथवा केन्द्रीय/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित आधार पर कार्यरत उन अधिकारियों में से जो केन्द्रीय महंगाई भत्ता पयति में इसी प्रकार के वेतनमान में समतुल्य पद पर कार्यरत हों और जिन्हें कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** तीन वर्ष से अधिक नहीं, परन्तु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	12 (2009)	समूह-ख	पीबी-2* (9300-34800 रुपये), श्रेणी वेतन 4800 रुपये सहित	(i) योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति से 50%. (ii) प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती से 50%.

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के मामले में)	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
40 वर्ष	**शैक्षिक अर्हता** **अनिवार्य:-** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री। **वांछनीय** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से व्यवसाय प्रशासन / मानव संसाधन विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	(1) नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों में से अथवा नियमित आधार पर कम से कम पांच वर्ष से वैयक्तिक सहायक/स्वागतकर्ता/केयरटेकर और स्टोरकीपर के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों तथा जिन्हें कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त हो, में से सीमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध-सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा:-

	/ डिग्री अथवा विधि में डिग्री। **अनुभव :** किसी सरकारी विभाग में स्थापना / प्रशासन से संबंधित मामलों में पांच वर्ष का अनुभव।	(i) जो वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) के वेतनमान और 4800/- रुपये के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जो वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) के वेतनमान और 4200/- रुपये के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; तथा जिन्हें कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव प्राप्त हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** तीन वर्ष से अधिक नहीं, परन्तु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

* 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 5400 रुपये।

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2012

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2012

No. NHAI/11011/17/2012-HR. I (Vol. III).—In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. **Short title and commencement:-** (i) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2012.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and the pay scales prescribed in Column 4 of the Schedules annexed hereto in para 6 below shall come into effect from the date prescribed in the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time.

2. In Regulation 12 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), after clause (6), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(7) In case of selection of officers belonging to the Central Road Research Institute (CRRI); Central Public Works Department (CPWD); Corps of Engineers, Indian Army; Border Roads Organisation (BRO); Military Engineering Services (MES); Central / State Government Departments and Central / State Public Sector Undertakings, who carry the similar pay scales in CDA pattern as applicable to Central Government employees and possess the requisite qualification and experience prescribed for the posts, the requirement to advertise the vacancies and screening of applications through the Screening Committee shall be dispensed with.

"(8) In case of selection of officers to the post of Deputy Manager (Technical) by direct recruitment through campus recruitment, the requirement to advertise the vacancies and screening of applications through the Screening Committee shall be dispensed with."

3199 GI/12-2

3. In sub-regulation (5) of the regulation 13 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), for the clauses (b), (d), (g) and (h), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) At least two years of continuous service on deputation basis in the Authority in the post for which the officer seeks absorption.

(d) Consent of the cadre controlling authority in parent department.

Provided that this condition may be dispensed-with in case of officers or employees whose resignation / voluntary retirement has been accepted by the parent department.

(g) The officer should be less than 55 years of age as on 1st day of January of the year in which the officer is being considered for absorption and should have at least 5 years of residual service as per age for superannuation prescribed in Regulation 10 of the NHAI (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, as amended from time to time.

(h) For officers who are already on deputation, vigilance clearance from Vigilance Division of NHAI will be required."

4. In the principal regulations, for regulation 15, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**15. Seniority** –

(1) There shall be a separate categories of post-wise seniority list for all posts in different disciplines.

(2) In case of selection of officers or employees by direct recruitment / direct recruitment through lateral entry, their seniority shall be in the order in which they are recommended by the Selection Committee. For the rest proviso (3) below will apply.

(3) The seniority of officers and employees of the Authority shall be determined on the basis of the instructions and guidelines issued by the Central Government (Department of Personnel & Training), from time to time.

(4) A copy of the respective seniority list shall be supplied to each officer and employee.

(5) In case of any dispute regarding inter-se seniority of officers in the respective seniority list, the decision of the Chairman shall be final."

5. After regulation 21 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted as regulation 22, namely:-

"**22. Residuary matters** – In regard to matters not specifically covered by Regulations made under Section 35 of the Act or any general, or special orders made or issued thereunder, the service conditions of the officers and employees of Authority shall be governed by the rules applicable to the employees of the Central Government in general and instructions issued by the Central Government, from time to time."

IndiaCode

6. In the Schedule to the principal regulations, the Schedule prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be substituted, namely:-

"Deputy Manager (Technical)"
Assistant Manager (Administration)."

RAJIV YADAV, Member (Administration)

[ADVT III/4/122/12/Exty.]

Foot note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.I), dated 23rd July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 24th July, 2012.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Name of Post	No. of Post	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy Manager (Technical)	60 (2012), subject to variation depending on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay of Rs.5400	Direct Recruitment / Deputation

Age limit for direct recruitment	Educational qualification required	In case of recruitment by direct recruitment and deputation, the grades from which to be made
6	7	8
35 years	**Educationa l qualification:** **Essential:-** Degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent.	(1) By direct recruitment:- (a) through campus recruitment from the candidates studying Bachelor of Engineering (BE) or Bachelor of Technology (B.Tech.) in Civil engineering from the Indian Institutes of Technology (IITs) / National Institutes of Technology (NITs); or (b) from amongst the candidates who have qualified in the Indian Engineering Services (I.E.S.) Examination (Civil) conducted by Union Public Service Commission (UPSC); and possessing essential educational qualification prescribed in Column 7. OR (2) By deputation from officers of Central Engineering Service (Roads) of Ministry of Road Transport & Highways holding the post of Assistant Executive Engineer (Civil) on regular basis or from the officers holding equivalent posts carrying similar pay scale in CDA pattern in the Central / State Government Departments or Central / State Public

		Sector Undertakings on regular basis and possessing essential educational qualification prescribed in column 7. **Period of deputation** Not more than three years but may be extended/ curtailed with the approval of the Competent Authority.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Assistant Manager (Administration)	12 (2009)	Group B	PB-2 * (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800	(i) 50% through Promotion by Selection on merit. (ii) 50% through Deputation / Direct Recruitment.

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation/ direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
40 years	**Educational Qualification** **Essential:** Degree of a recognized University. **Desirable:** Post Graduate Diploma/ Degree in Business Administration/ Human Resources Development or a Degree in Law from a recognized University/ Institute. **Experience:** Five years experience in establishment/ administration matters in a Government Department.	(1) By promotion through limited selection process from candidates holding the post of a Private Secretary on regular basis or from the candidates holding the post of Personal Assistant / Receptionist / Caretaker and Storekeeper for a period of at least five years on regular basis and possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. OR (2) By deputation / direct recruitment from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) on regular basis; or (ii) with five years of regular service in the post carrying the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern); and Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. Period of deputation Not more than three years but may be extended / curtailed with the approval of the Competent Authority.

* PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400 on completion of 4 years of regular service

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.